स0सं0–7/बजट–46–12/2023– 513 (7)

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

शैलेश कुमार,
सरकार के अपर सचिव।

सेवा मे,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

*द्वारा– आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

पटना, दिनाक–13/03/2025

विषयः– "विकसित बिहार के सात निश्चय–1" अंतर्गत कोशी प्रमंडल में नवनिर्मित ए0एन0एम0 स्कूल, जी0एन0एम0 स्कूल एवं बी0एस0सी0 नर्सिंग कॉलेज के पूर्व स्वीकृत योजनान्तर्गत नवनिर्मित भवनों के सभी प्रयोगशालाओं में अधिष्ठापित करने हेतु बिहार चिकित्सा सेवायें एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना से Turnkey Basis पर चिन्हित उपकरणों एवं उपस्करों के क्रय हेतु वित्तीय वर्ष 2022–23 में, रु0 4,99,43,400/– (रुपये चार करोड़ निन्यानवे लाख तेतालिस हजार चार सौ) मात्र के प्रशासनिक स्वीकृति के विरूद्ध वित्तीय वर्ष 2024–25 में रु० 49,43,400/–(रुपये उनचास लाख तेतालिस हजार चार सौ) मात्र व्यय की स्वीकृति ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के सबध मे कहना है कि "विकसित बिहार के सात निश्चय 1" अन्तर्गत राज्य मे 54 मुख्यमत्री निश्चय ए0एन0एम0 स्कूल के निर्माण हेतु, 23 मुख्यमत्री निश्चय जी0एन0एम0 स्कूल के निर्माण एव 16 मुख्यमत्री निश्चय बी0एस0सी0 नर्सिग कॉलेज एव छात्रावास के निर्माण के योजना की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई थी। इसमे केवल भवन, फर्निचर आदि कार्य ही शामिल रहने के कारण 6 विविध प्रयोगशालाये (Skills Lab, Community Health Nursing Lab, Nutrition Lab, Anatomy and Physiology Lab, Pre-Clinical Lab & IT Lab) हेतु उपकरण एव उपस्करो को अधिष्ठापित नहीं किया जा सका है।

2– अतएव नवनिर्मित भवनों के सभी प्रयोगशालाओ के सचालन हेतु स्वास्थ्य एव परिवार कल्याण मत्रालय, भारत सरकार अन्तर्गत Indian Nursing Council के National Health Policy Revised Operational Guidelines -2017 के अनुरूप सस्थान–कोटिवार उपकरणो की सख्या एव बिहार चिकित्सा सेवाये एव आधारभूत सरचना निगम लि०, पटना अन्तर्गत गठित तकनीकी विशिष्टता समिति के द्वारा प्राक्कलित दर पर होने वाले व्यय विवरणी प्रमडलवार तैयार की गयी है। निर्माण एजेन्सी (BMSICL) के द्वारा प्रमंडलवार Turnkey Basis पर सभी सस्थानो मे उपकरणों की आपूर्त्ति एव अधिष्ठापन किया जाना है। इसके लिए कोशी प्रमंडल अन्तर्गत नवनिर्मित सस्थानो हेतु रु० 4,99,43,400/– (रुपये चार करोड निन्यानवे लाख तेतालिस हजार चार सौ) मात्र की माग की गयी है, जिसकी प्रशासनिक स्वीकृति विभागीय राज्यादेश सख्या–549(7), दिनाक–17 03 2023 द्वारा प्रदान की गयी है।

3– इस योजना हेतु अब तक आवंटित राशि का विवरण निम्नरुपेण है–

क्र0सं0	वित्तीय वर्ष	राशि (रु0 मे)	व्ययादेश स0 एव दिनाक
1	2023–24	50,00,000/–	स0–21(7), दिनाक–08 05.2023
2	2023–24	3,00,00,000/–	स0–247(7), दिनाक–27 09 2023
3	2023–24	1,00,00,000/–	सं0 -474(7), दिनाक–15 02.2024
कुल–		**4,50,00,000/–**	

4– तद्नुसार "विकसित बिहार के सात निश्चय–1" अंतर्गत कोशी प्रमडल मे नवनिर्मित ए0एन0एम0 स्कूल, जी0एन0एम0 स्कूल एव बी0एस0सी0 नर्सिग कॉलेज के पूर्व स्वीकृत योजनान्तर्गत नवनिर्मित भवनो के सभी प्रयोगशालाओ मे अधिष्ठापित करने हेतु बिहार चिकित्सा सेवायें एव आधारभूत सरचना निगम लि०, पटना से Turnkey Basis पर चिन्हित उपकरणो एव उपस्करो के क्रय हेतु वित्तीय वर्ष 2022–23 में, रु0 4,99,43,400/– (रुपये चार करोड निन्यानवे लाख तेतालिस हजार चार सौ) मात्र के प्रशासनिक स्वीकृति के विरूद्ध वित्तीय वर्ष 2024–25 मे रु० 49,43,400/–(रुपये उनचास लाख तेतालिस हजार चार सौ) मात्र व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

5– उक्त कार्य बिहार चिकित्सा सेवाएँ एव आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना द्वारा स्वास्थ्य विभागीय राज्यादेश सं0–549(7) दिनांक–17.03.2023 मे निहित्त शर्तों के आधार पर किया जायेगा।

6– यह व्ययादेश/राज्यादेश वित्त विभाग के परिपत्र संख्या–2561/वि0(2), दिनाक–17.04.98, 2880/वि0(2), दिनांक–06.05.06, 2938/वि0(2), दिनांक–08.04.08, 3758/वि0, दिनांक–31.05.2017 एवं 12888/वि०, दिनांक–03.12.2024 के आलोक मे निर्गत किया जा रहा है।

7– इस राशि के निकासी एव व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव–सह–निकासी एव व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना होंगे तथा नियंत्री पदाधिकारी, निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होगे।

8– इस राशि के व्यय का वहन माग सख्या–20, मुख्य शीर्ष–4210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय–03–चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान–105– एलोपैथी–0112–ए0एन0एम0 एव जी0एन0एम0 स्कूल, विपत्र कोड–20–4210031050112 अन्तर्गत विषय शीर्ष–0112–52 02 मशीनें एवं उपस्कर–अन्य ईकाई मे उपबंधित/अनुपूरक आगणन से प्राप्त राशि से किया जायेगा।

9– अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना बी0टी0सी0 फॉर्म–46 में तैयार विपत्र के माध्यम से राशि को नगद नहीं बल्कि खाता अंतरण के माध्यम से बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना को उपलब्ध करायेंगे, जो उक्त राशि को पी0एल0 एकाउन्ट स0–PBBPLA007 विपत्र कोड–00-8448001110002-0001 के अन्तर्गत ledger ID-5265 मे जमा कर राशि का खर्च विधिवत् प्रक्रिया अपनाते हुए करेगे और ससमय उपयोगिता प्रमाण–पत्र विहित प्रपत्र मे तैयार कर प्रशासी विभाग को उपलब्ध कराएँगे।

10– बिहार चिकित्सा सेवायें एवं आधारभूत संरचना निगम, पटना इस राशि का धन ऋण (Plus-Minus Memoranda) ज्ञापन तथा व्यय के सुसगत भाउचर्स/उपयोगिता प्रमाण–पत्र के साथ ससमय कोषागार के माध्यम से महालेखाकार को प्रेषित करना सुनिश्चित करायेंगे।

11– प्रस्ताव एव प्रारूप पर सचिव, स्वास्थ्य विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

12– प्रारूप पर आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति रा0स0–7/बजट–46–12/2023 के पृष्ठ–15/टि0 पर प्राप्त है।

13– राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जायेगी। राशि की निकासी के मामले मे महालेखाकार बिहार पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नही है।

14– यह मात्र व्ययादेश है, आवटनादेश CFMS के माध्यम से निर्गत किया जायेगा।

विश्वासभाजन

13/3/25

(शैलेश कुमार)

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक–7/बजट–46–12/2023 – 513 (7) /स्वा0, पटना, दिनाक–13/03/2025

प्रतिलिपि–योजना एव विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार पटना/प्रमडलीय आयुक्त, कोशी प्रमडल, सहरसा/जिला पदाधिकारी, सहरसा, मधेपुरा एवं सुपौल/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/अवर सचिव–सह– निकासी एव व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/असैनिक शल्य चिकित्सक–सह– मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, सहरसा, मधेपुरा एव सुपौल को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग प्रधान आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी–6 एव 7/लेखा शाखा (दो प्रतियों में), स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना एव कार्यवाह सहायक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– प्रबध निदेशक, बिहार चिकित्सा सेवाए एव आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एव सबधित को ई–मेल करने के निदेश के साथ प्रेषित।

13/3/25

सरकार के अपर सचिव।